कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / पर्यावरण / 2017–22/569 दिनांक : 25/07/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय :– हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय दिशा निर्देश सत्र 2022–23 के क्रम में।

प्रसंग :– राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर का निर्देश पत्र क्रमांकः रास्कूलशिप / वै.शि. / हरित विद्या.स्वच्छ विद्या. दिशा निर्देश / एफ–78 / 2022–23 / 3320 दिनांक : 20.07.2022 एवं पत्रांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / हरित पाठशाला / 2022–23 / 3251 दिनांक : 19.07.2022

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय दिशा निर्देश सत्र 2022–23 जारी किए जाकर आपको प्रतिलिपि माध्यम से पालना हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उल्लिखित प्रासंगिक निर्देश पत्रों की प्रति संलग्न कर लेख है कि उपर्युक्तानुसार प्रासंगिक पत्र में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे तथा इस सम्बन्ध में सूचना को शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित अवधि तक आवश्यक रूप से फीड. करवाते हुए प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत करावें।

संलग्न :– यथोपरि।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक को पालनार्थ।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

PS/mail/1384/22
20/7/22

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID– rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in smsa.asfe2021@gmail.com

आजादी का अमृत महोत्सव 552

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./ F-18/हरित विद्या0 स्वच्छ विद्या0 दिशा–निर्देश/2022–23/ 3320 दिनांक 20/7/2022

326
21.7.22

DD(Sec)
20/7/22

हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय
दिशा–निर्देश सत्र 2022–23

पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिये विद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं में पर्यावरण की समझ बनाने एवं विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से राज्य एवं भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरूस्कार अभियान चलाया गया है।

इसी श्रृंखला में समग्र शिक्षा परियोजना में 'स्टार्स प्रोजेक्ट' अन्तर्गत राज्य की यू–डाइस 2020–21 के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अधिकतम नाभांकन वाले (सत्र 2021–22 में चयनित 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छोड़ते हुये) चयनित 2,000 विद्यालय में (संलग्न परिशिष्ट–01) के अनुसार सत्र 2022–23 में ''हरित विद्यालय एवं स्वच्छ विद्यालय'' की योजना प्रारम्भ की गयी है।

उद्देश्यः – हमारे दैनिक जीवन में प्रकृति को स्थान देना अति आवश्यक है। प्रकृति के साथ मिलकर ही हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्रकृति का महत्व कितना उपयोगी है इसका जीवन्त उदाहरण कोविड–19 की वैश्विक महामारी में हमें देखने को मिला है। अतः प्रकृति के मुख्य पक्ष यथा वृक्ष, जल, पृथ्वी, वायु को स्वच्छ बनाना है। हमारे आस–पास अनेक वस्तुएं हैं, जो प्रथमतः अनुपयोगी प्रतीत होती हैं किन्तु सही मार्गदर्शन एवं रचनात्मक विचारों के माध्यम से अनुपयोगी को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। इसी ध्येय के साथ निम्नलिखित प्रयास शिक्षक–शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के माध्यम से किये जाने हैं –

✓ **पर्यावरण के सन्दर्भ में –**

- **आकाश, वायु और अग्नि तत्व के अन्तर्गत** – वृक्षारोपण, पोषण, संरक्षण एवं हरित परिदृश्य के माध्यम से पर्यावरण मित्र की परिकल्पना को मूर्तरूप देना।
- **जल तत्व के अन्तर्गत** – पेयजल स्वच्छता एवं जल संरक्षण का महत्व समझना व समझाना।
- **पृथ्वी तत्व के अन्तर्गत – कचरा प्रबन्धन, पर्यावरण संरक्षण के महत्व, समझ एवं पर्यावरण के** प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाना।
- विद्यालयों में सदन (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश) आधारित गतिविधियों एवं समाज के निरन्तर सहयोग से ''**पर्यावरण संरक्षण, पेयजल स्वच्छता, हरित विद्यालय (वृक्षारोपण)**'' आदि के विकास के साथ हरित एवं स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना को साकार करना।
- **विद्यालय पर्यावरण की थीम** Eco System Restoration Reimagine **(फिर से बनाना, पुर्नस्थापित) करने की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये उष्ण व शुष्क** जलवायु में हरियाली को बनाये रखना, जल संरक्षण, वनों के संरक्षण एवं कचरा प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है।

(1) संस्था प्रधान के दायित्व –

1. विद्यालयों को निम्नलिखित तीन मापदण्डों को पूरा करने पर ''**हरित और स्वच्छ विद्यालय**'' की श्रेणी के मापदण्ड में लिया जा सकेगा।
   - ✓ हरित परिदृश्य और वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संवेदनशीलता (वायु, आकाश और अग्नि)
   - ✓ पेय जल संरक्षण और स्वच्छता (जल)
   - ✓ कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण (पृथ्वी)

- यूथ एवं इको क्लब के माध्यम से पूर्व में गठित सदन आधारित कोर ग्रुप / बाल संसद, संस्था प्रधान एवं यूथ एवं ईको क्लब के प्रभारी के मार्गदर्शन में ''**ग्रीन एण्ड क्लीन स्कूल**'' के जल, वायु, आकाश,

भूमि और अग्नि पहलुओं के लिए निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सदन के विद्यार्थी सक्रिय एवं मजबूत भूमिका के रूप में कार्य करेंगे।

- स्टार्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित 1000 विद्यालयों को हरित एवं स्वच्छ विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है।

(A) हरित परिदृश्य और वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संवेदनशीलता (आकाश, वायु और अग्नि)

1. वायु, आकाश और अग्नि थीम के तहत स्वच्छ एवं हरित स्कूलों के एक हिस्से के रूप में वृक्षारोपण किया जाये।
2. चयनित स्कूलों को नए वृक्षारोपण के लिए जिले में स्थानीय भू-जलवायु स्थिति के आधार पर पौधों की प्रजातियों की पहचान विकसित करने हेतु विद्यार्थियों में समझ विकसित की जाये।
3. 2022-23 के नए सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय में चरणबद्ध तरीके से स्कूली बच्चों, एसएमसी व एसडीएमसी, शिक्षकों एवं समुदाय को शामिल कर वृक्षारोपण किया जाये।
4. वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर में सुधार के लिए स्कूली छात्रों द्वारा बायो-फेंसिंग / ट्री गार्ड लगाए जायें एवं उनका पोषण व सरंक्षण किया जाये।

(A.1) आकाश, वायु और अग्नि की गतिविधियां –

1. यूथ एवं ईको क्लब के सहयोग से स्कूल की भू-जलवायु आवश्यकताओं के आधार पर नवीन वृक्षारोपण किया जाये, जिसमें छायादार पेड़ लगाना, स्थानीय प्रजातियों के फलदार पेड़ लगाना इत्यादि शामिल हो।
2. वृक्षारोपण पश्चात प्रत्येक वृक्ष को चिन्हित कर नाम / क्रमांक दिया जाकर नाम पट्टिका लगायी जाये, जिससे बच्चों को उनके वैज्ञानिक / जैविक नामों की भी पहचान हो सके।
3. वृक्षारोपण के संरक्षण और जीवित रहने की दर में वृद्धि के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
4. अनुपयोगी प्लास्टिक बोतलों को बाड़ लगाने के लिए अतिरिक्त सामग्री के रूप से उपयोग में लिया जा सकता है।
5. साथ ही ऐसी प्लास्टिक की बोतलों को ड्रिप इरीगेशन / बून्द-बून्द सिंचाई के रूप में उपयोग लिया जा सकता है।

बाड़ लगाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों की ईंटें कैसे बनाएं –

- एक ही आकार की अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलों को आवश्यक मात्रा में संकलित करें।
- प्लास्टिक की बोतलों को ऊपर तक रेत से भरें। बोतल के अंदर रेत भरते हुये दबाव डालने के लिए एक छड़ी का प्रयोग करें।
- एक बार ऊपर तक भर जाने के बाद, ढक्कन लगा दें। इस प्रकार बोतल की एक ईंट तैयार है।
- अब पर्याप्त मात्रा में पानी में मिट्टी और क्ले-मिट्टी मिलाकर पेस्ट बना लें।
- बोतलों को आपस में जोड़ने के लिए इस पेस्ट को सीमेंट के रूप में प्रयोग करें
- बोतल की दो परतें बनाने के बाद, संरचना को सूखने दें और आगे बढ़ें।

(B) पेय जल संरक्षण और स्वच्छता (जल)

1. 'स्वच्छ विद्यालय हरित विद्यालय' के लिए जल संरक्षण हेतु वर्षा जल को एकत्रित करने की व्यवस्था की जाये। साथ ही स्कूल परिसर में अपशिष्ट जल का बेहतर प्रबंधन करते हुये इसे वृक्षारोपण के लिये उपयोगी बनाया जाये।

अतिरिक्त जानकारी देखने के लिये कृपया दिशा निर्देशों के अन्तिम पृष्ठ पर क्यू.आर. (QR) कोड को स्कैन कर चित्रानुसार कार्य करें। अथवा संलग्न परिशिष्ट- 02 को देखें।

2. विद्यार्थियों को सदन आधारित क्लब (जल की गतिविधियों) के साथ जल संरक्षण हेतु त्वरित मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। ताकि उन कार्यों की पहचान की जा सके जो स्कूल परिसर में पेयजल आपूर्ति एवं अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति को मजबूत कर सकें।
3. इस कार्य-सूची के अंतर्गत टूटे हुए पानी के नलों की मरम्मत, टपकते पानी के पाइप, जल भंडारण टैंकों की सफाई और वर्षा जल संचयन टैंक (यदि पहले से निर्मित हैं) व अन्य अति-आवश्यक कार्य किये जा सकते हैं।
4. विद्यालय द्वारा इस कार्य-सूची के अंतर्गत नए अपशिष्ट जल चैनल, सोक-पिट का निर्माण किया जा सकता है।

(B.1) गतिविधियां –

- 22 मार्च को 'विश्व जल दिवस' के अवसर पर विद्यालय भूजल पर चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए **'ग्राउंडवाटर– मेकिंग द इनविजिबल विज़िबल'** विषय पर जल सम्बन्धी गतिविधियां एवं प्रतियोगितायें आयोजित की जायें, जिसमें जल के प्रभावी उपयोग और जल संरक्षण के तरीकों जैसे भूजल पुनर्भरण एवं संचयन इत्यादि विषय शामिल हों।
- जिन विद्यालयों में पूर्व में वर्षा जल संचयन टैंक स्थापित हैं, ऐसे विद्यालयों की छत के परिक्षेत्र की गणना को ध्यान में रखते हुये विद्यार्थी टैंक में जल संचयन को नोट करेंगे ताकि वर्षा ऋतु के दौरान रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से टैंक में होने वाले संग्रहित पानी की क्षमता से विद्यार्थी परिचित हो सकें।
- संग्रहित जल के अनुसार विद्यालय परिसर में विभिन्न गतिविधियों में उपयोग होने वाले पानी की मात्रा को विद्यार्थी तद्नुसार उपयोग ले सकें। जिससे विद्यार्थी अपनी दैनिक जीवन में भी पानी की उपयोगिता एवं जल संचयन के महत्व को समझ सकें।

✓ **गन्दे (अनुपयोगी) जल को उपयोगी बनाना –**

- अनुपयोगी जल को उपयोगी बनाने हेतु परिशिष्ट–02 के अनुसार कार्य योजना तैयार कर ऐसे पानी को वृक्षारोपण इत्यादि के लिये उपयोगी बनाया जाये।

✓ **सोख्ता गड्ढों का निर्माण –**

- अपशिष्ट पानी को सोखते गड्डे में डालने की कार्य योजना विद्यार्थियों की सहभागिता से तैयार की जाये।

(C) **कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण (पृथ्वी) –**

कचरा प्रबंधन हेतु विद्यालय परिसर के कचरे को निस्तारित / उपयोगी करने के लिये विद्यार्थियों के साथ मिलकर गीले कचरे के लिये कम्पोस्ट गढ्ढों का निर्माण किया जाये। विद्यार्थियों में कचरा निस्तारण एवं डस्टविन के उपयोग हेतु समझ विकसित करने के लिये डस्टबिन का निम्नानुसार उपयोग लिया जाना सुनिश्चित करें –

1. **नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग** – विद्यालय के कॉमन भाग में सूखा डस्टबिन (नीले रंग का) रखें। इसमें प्लास्टिक कवर, बोतलें, कागज़ बक्से, कप, टॉफी रैपर, साबुन या चॉकलेट रैपर और कागज के कचरे जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टेट्रा पैक, कार्डबोर्ड कार्टन, कागज़ बॉक्स या पेपर कप, टिन / कैन फॉइल पेपर और कंटेनर जैसी धातु की वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन, बाल, रबर/थर्मोकोल (पॉलीस्टाइरीन), पुराने मोप्स/डस्टर/स्पंज इत्यादि शामिल हैं।
2. **हरे रंग के डस्टबिन का उपयोग** – इसमें मुख्यतः गीला कचरा या बायोडिग्रेडेबल सामग्री शामिल है, के उपयोग में लिया जाये। इसमें पका हुआ भोजन/बचे हुए भोजन, सब्जी/फलों के छिलके, टी बैग/कॉफी पीस, नारियल के खोल और बगीचे के कचरे सहित गिरी हुई पत्तियों/ टहनियाँ या पूजा के फूल/माला इत्यादि शामिल हैं।
3. इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा–कक्ष में सामान्य रूप से छोटा डस्टबिन भी रखा जाये।
4. **कम्पोस्ट पिट का निर्माण / उपयोग –**

   ✓ स्कूलों को स्कूल परिसर के भीतर उत्पन्न गीले कचरे को स्वाभाविक रूप से निपटाने के लिए कंपोस्ट पिट स्थापित किया जायें। इन खाद गड्ढों के प्रति विद्यार्थियों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात उपयोग लिया जाये।

- ✓ कम्पोस्टिंग के जरिये बनी हुई खाद का उपयोग विद्यालय के किचन गार्डन/ सब्जी के बाग मे किया जा सकता है।
- ✓ स्कूल कचरा प्रबंधन के लिए आयोजित गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं, चित्रों और निबंधों को प्रदर्शित किया जाये।

(D) अनुपयोगी चीज़ों को उपयोगी बनाना –

1. विद्यालयों में समस्त प्रकार की अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने के लिये संस्था प्रधान; शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ सामुहिक कार्य–योजना तैयार करेंगे।
2. अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु प्रथमतः विद्यार्थियों को निबन्ध प्रतियोगिता "**बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता**" आयोजित की जाये।
3. इसी प्रकार पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये, जिसमें (फोटो फ्रेम, पौधे के बर्तन, टिन के लालटेन, चित्रित कांच की बोतलें, कक्षाओं के लिए सजावटी सामग्री, प्लास्टिक चम्मच फूलदान, डिब्बों से पक्षी घर कुछ सुझाव हैं जो छात्र कर सकते हैं)। विजेताओं को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिये जायें।

(E) मॉनिटरिंग –

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अति0 जिला परियोजना समन्वयक एवं समस्त सीबीईओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों की दिशा निर्देशानुसार समय–समय पर वित्तीय व्यय एवं गतिविधियों की मॉनीटरिंग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(F) वित्तीय व्यय हेतु निर्देश –

1. स्टार्स प्रोजेक्ट की पूरक वार्षिक कार्ययोजना एवं सत्र 2022–23 में एस.आई.जी. (Strengthening Service Delivery) अनुभाग–4 के अन्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वोच्च नामांकन वाले 2,000 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रति विद्यालय 15,000/– रूपये का बजट का प्रावधान किया गया है।
2. प्रावधित बजट से निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये।
3. एस.आई.जी. (Strengthening Service Delivery) **अनुभाग–4** मद में "**ग्रीन एण्ड क्लीन स्कूल**" हेतु प्रावधित राशि का उपयोग ग्रीन एण्ड क्लीन स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में ही किया जाना है। इसका उपयोग अन्य किसी गतिविधि में नहीं किया जाये।
4. ग्रीन एण्ड क्लीन स्कूल मद में प्रावधित बजट का उपयोग '**हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय**' की गतिविधियों के संचालन में उपयोगी समग्री यथा हथौड़ी, फावड़ा, गैंती, खुरपी, खाद, बीज, नवीन पेड़–पौधे क्रय, पेड़–पौधों में पानी देने के उपकरण एवं विद्यालय की अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने की सामग्री क्रय हेतु राशि का उपयोग लिया जा सकता है।
5. कचरा प्रबंधन एवं संभावित गतिविधि (डस्टबिन, पिट कम्पोस्टिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन/पृथक्करण) हेतु विद्यालय में वह सामग्री जो बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए आवश्यक है, वह खरीद की जा सकती है।
6. प्रावधित राशि में से व्यय की गयी राशि का इन्द्राज विद्यालय के लेखों में किया जाये एवं बिल वाउचर संधारित किये जायें।
7. गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराये गए बजट का सत्र 2022–23 में उपयोग किया जाकर निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. **सकल परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।**

9. क्रय की जाने वाली सामग्री क्रय में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

10. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं परिषद से जारी दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष – कोविड–19 के कारण भारत, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– (परिशिष्ट 01 एवं 02)

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./हरित विद्या.स्वच्छ विद्या. दिशा निर्देश/F-78 /2022–23/ 3320 दिनांकः 20/7/2022

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय / प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपायुक्त (योजना) राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. जिला प्रभारी अधिकारी, समस्त जिले।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
11. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सीआरसी)/शहरी सीआरसी।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) 2022–23

विद्यालय का नाम ....यू–डाईस कोड ....

हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022–23 में प्राप्त हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय राशि रू. ....का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि .... है। राशि उपयोग पश्चात .... राशि शेष रही है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर) 2022–23

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022–23 में ब्लॉक .... जिला .... के कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
योग						

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय
....

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय
....

हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर) 2022-23

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में जिला .... को हरित विद्यालय स्वच्छ विद्यालय मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिले कार्यालय पर कुल .... रूपये इस मद में अधिशेष है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

स्टारर्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित किये गये डाइस 2020–21 के अन्तर्गत सर्वोच्च नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रावधित बजट प्रावधान 2022–23

क0स0	जिला	चयनित किये गये उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	यूनिट कॉस्ट	राशि लाखों में
1	AJMER	91	0.15	13.6500
2	ALWAR	61	0.15	9.1500
3	BANSWARA	111	0.15	16.6500
4	BARAN	32	0.15	4.8000
5	BARMER	162	0.15	24.3000
6	BHARATPUR	58	0.15	8.7000
7	BHILWARA	71	0.15	10.6500
8	BIKANER	110	0.15	16.5000
9	BUNDI	43	0.15	6.4500
10	CHITTAURGARH	21	0.15	3.1500
11	CHURU	60	0.15	9.0000
12	DAUSA	48	0.15	7.2000
13	DHAULPUR	62	0.15	9.3000
14	DUNGARPUR	63	0.15	9.4500
15	GANGANAGAR	35	0.15	5.2500
16	HANUMANGARH	50	0.15	7.5000
17	JAIPUR	82	0.15	12.3000
18	JAISALMER	18	0.15	2.7000
19	JALOR	89	0.15	13.3500
20	JHALAWAR	55	0.15	8.2500
21	JHUNJHUNU	24	0.15	3.6000
22	JODHPUR	120	0.15	18.0000
23	KARAULI	40	0.15	6.0000
24	KOTA	24	0.15	3.6000
25	NAGAUR	58	0.15	8.7000
26	PALI	62	0.15	9.3000
27	PRATAPGARH (RAJ.)	55	0.15	8.2500
28	RAJSAMAND	34	0.15	5.1000
29	SAWAI MADHOPUR	34	0.15	5.1000
30	SIKAR	37	0.15	5.5500
31	SIROHI	69	0.15	10.3500
32	TONK	22	0.15	3.3000
33	UDAIPUR	99	0.15	14.8500
	Grand Total	**2000**		**300.0000**

परिशिष्ट – 02

'हरित विदयालय एवं स्वच्छ विदयालय' स्कूलों के लिए चित्रानुसार निर्देश

नीचे दी गई जानकारी में **'हरित विदयालय एवं स्वच्छ विदयालय'** के लिए दिशा-निर्देशों के संदर्भ में है -

A) हरित परिदृश्य और वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संवेदनशीलता (आकाश, वायु, और अग्नि)

Government Primary School (Before)

After transformation into Green school

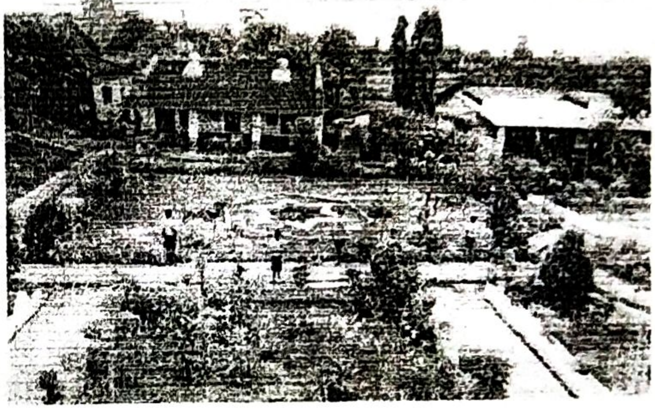

चित्र 1

गतिविधियां–

4. अनुपयोगी प्लास्टिक बोतलों से तैयार ईंटें

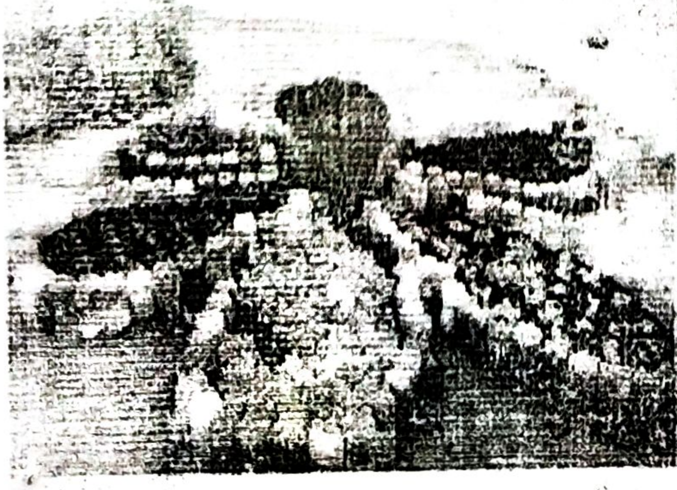

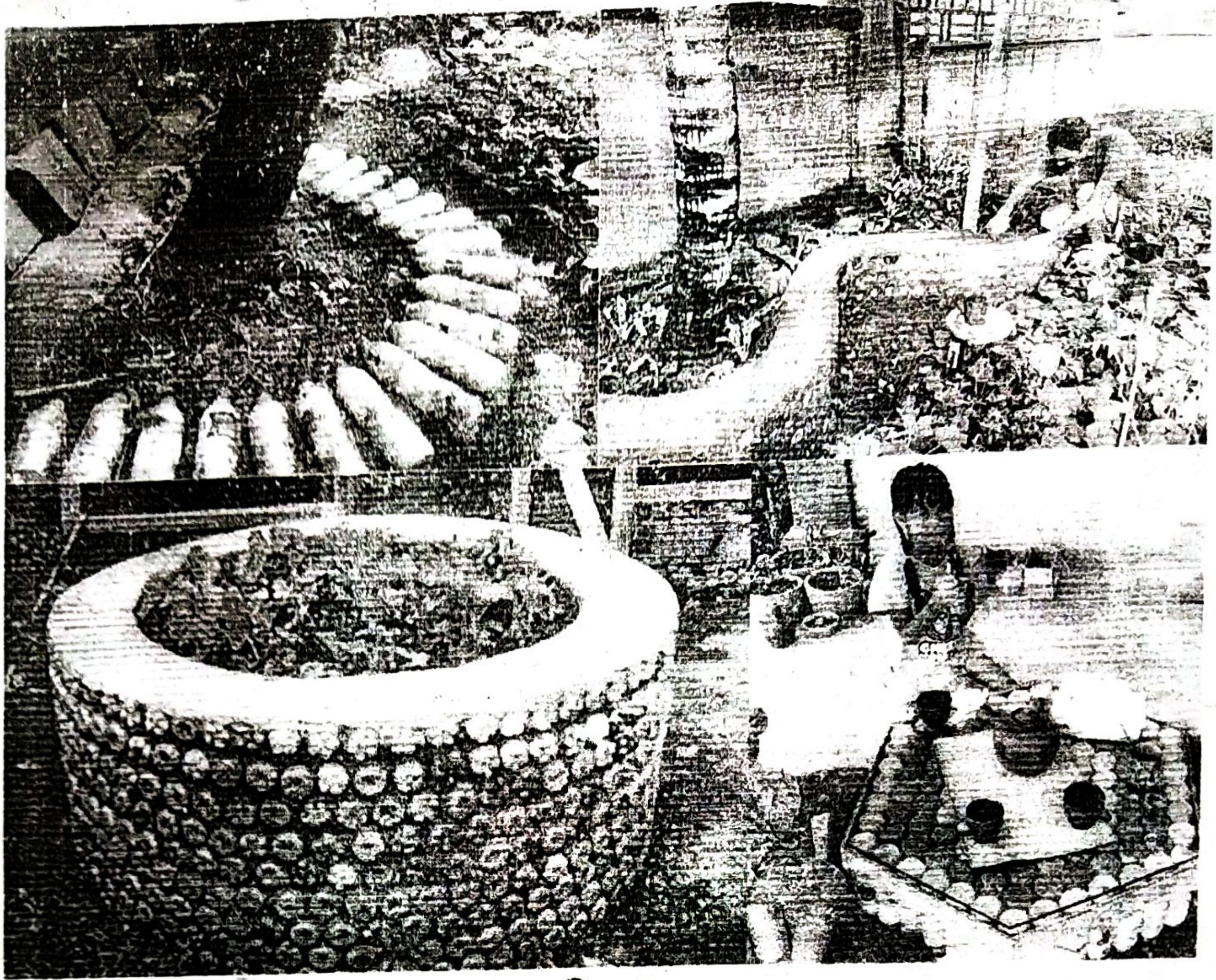

चित्र 2-6

B) पेय जल संरक्षण और स्वच्छता (जल)

<u>गतिविधियां –</u>

3- वर्षा जल संचयन क्षमता:

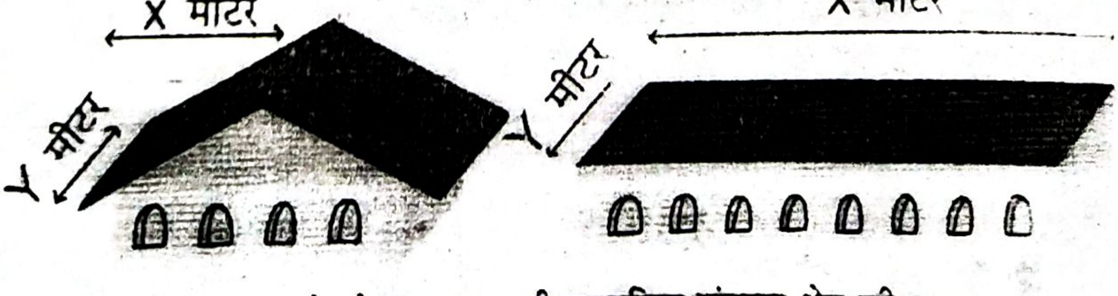

छत की ढलान को छोड़ कर छत की वास्तविक संग्रहण क्षेत्र की गणना -
क्षेत्रफल = लम्बाई (X मीटर) X छत की चौड़ाई (Y मीटर)

चित्र 7

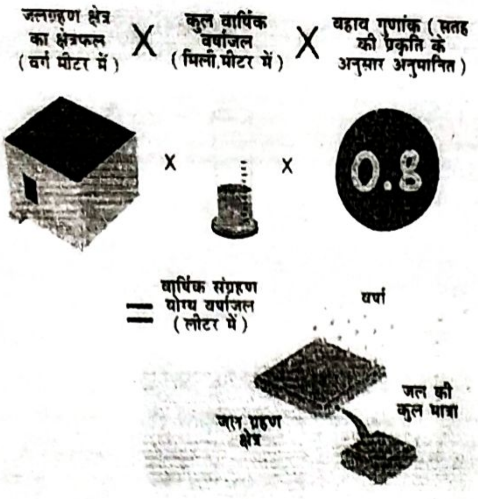

चित्र 8

जलग्रहण क्षेत्र का प्रकार	निर्मित क्षेत्र (वर्गमी.)	खुला क्षेत्र (वर्गमी.)	
	छत का क्षेत्र	पक्का क्षेत्र	कच्चा क्षेत्र
उदहारण - भवन -1 भवन - 2		-	-
पक्के रास्ते, बगीचे	-		
कुल वार्षिक वर्षा			
बहाव गुणांक	0.8	0.5	0.1
संभावित संग्रहण करने योग्य वर्षा/प्रति वर्ष (किलोली.)			
ग्रहण किया जा सकने वाला कुल वर्षाजल	(जिसे भण्डारित करके विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है)	(कच्ची और पक्की सतहों से प्राप्त वर्षाजल को भूगर्भीय जल के पुनर्भरण में उपयोग किया जा सकता है)	
कुल जल की मांग का आंकलन (किलोली.)			
जल की मांग का प्रतिशत जिसे वर्षाजल से पूरा किया जा सकता है			

चित्र 9

4- गंदे पानी का उपचार: पौध आधारित बजरी-कंकड़/नरकुल (रीड) फ़िल्टर

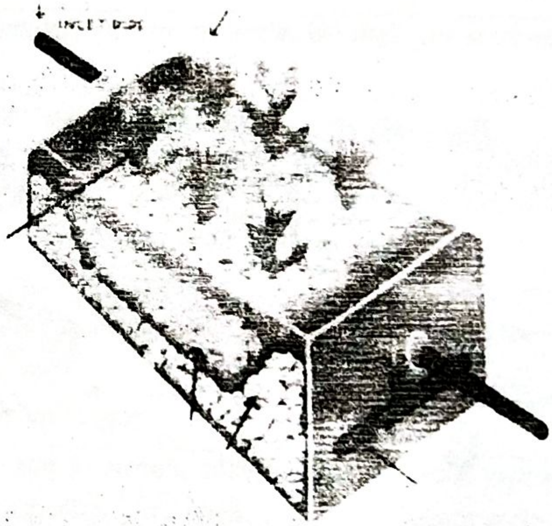

चित्र 10

5- सोख्ता गड्ढों का निर्माण :

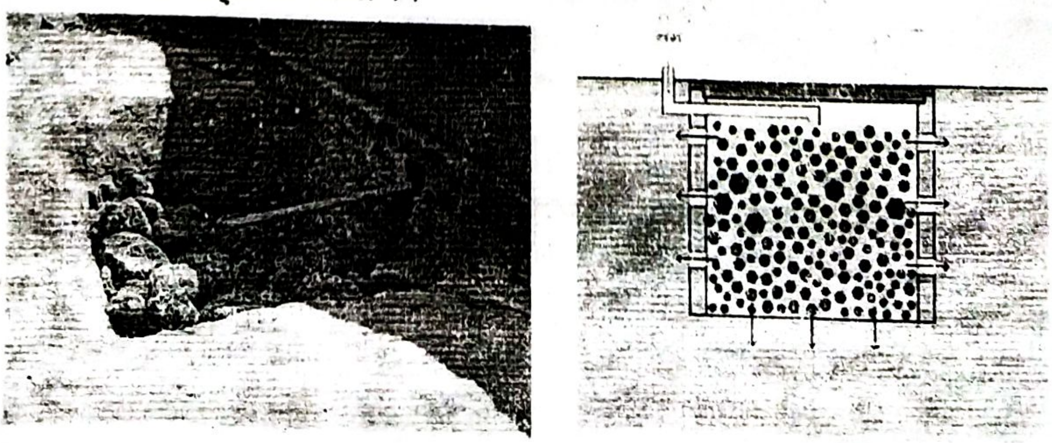

चित्र 11

7- जल गुणवत्ता परीक्षण:

पैरामीटर या मानदंड	नमूना 1	नमूना 2	नमूना 3	नमूना 4	नमूना 5
नमूना लेने का स्थान					
1. रंग					
2. गंध					
3. तापमान					
4. पी.एच					
5. निलंबित ठोस पदार्थ					
6. कुल घुलित पदार्थ (टी.डी.एस.)					
7. नाइट्रेट					
8. कठोरता					
9. फ्लोराइड					
10. ई. कोलाई जीवाणु					
11. अन्य कोई [illegible]					
आपके अवलोकन और टिप्पणी					
प्रयोग की गयी उपचार की विधि					
उपचार के बाद के अवलोकन	(उपचार करने के बाद, पानी को मापदंड (1–11) के लिए पुनः जांचें और जल की गुणवत्ता से जुड़े किसी विशेष पहलू में आये बदलाव के बारे में बताएं)				

चित्र 12

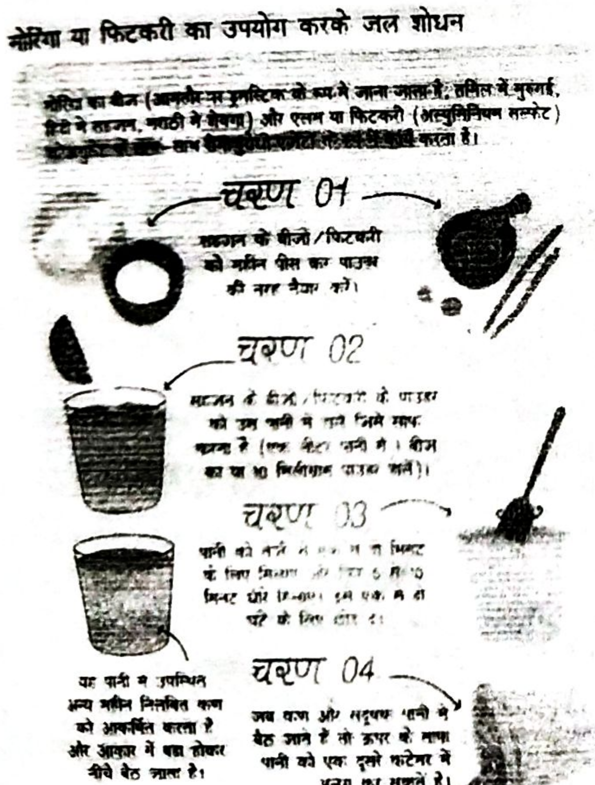

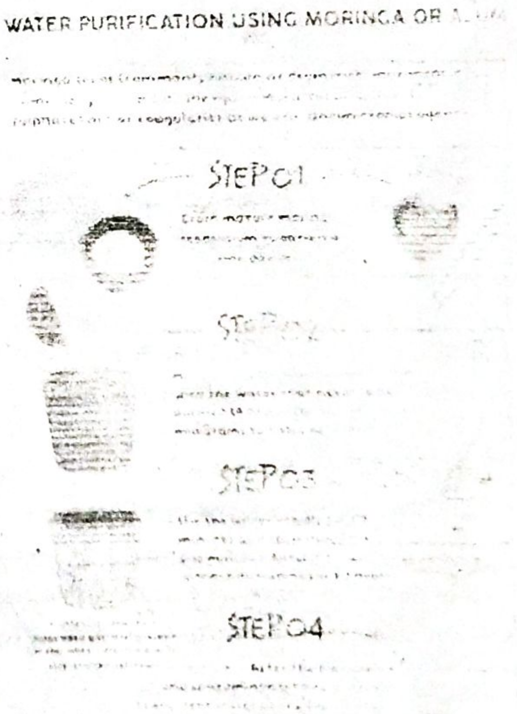

पीने के पानी की गुणवत्ता : परीक्षण पैरामीटर

सोडिस विधि के प्रयोग से जल शोधन

WATER PURIFICATION USING SODIS METHOD

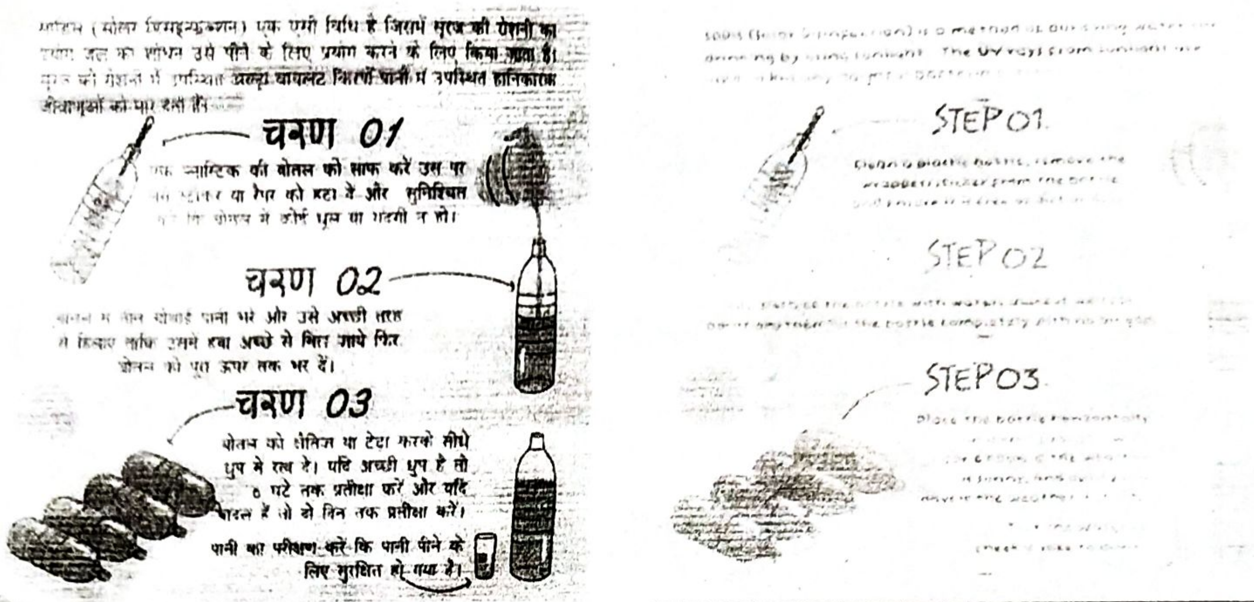

भौतिक गुण या लक्षण	
रंग	पानी साफ होना चाहिए और रंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जाता है।
गंध	पानी में कोई अनुचित या अनावश्यक स्वाद और गंध नहीं होनी चाहिए। घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण या कुछ घुली हुई गैसें स्वाद और गंध प्रदान करती हैं।
तापमान	10 डिग्री सेल्सियस - 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वांछनीय है। तापमान पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों को दृढ़ता से प्रभावित करता है।
अपशिष्ट ठोस पदार्थ	अपशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति के बिना पानी साफ दिखाई देना चाहिए। यदि पानी मैला होता है, तो यह अपशिष्ट पदार्थ जैसे मिट्टी, कीचड या अन्य कार्बनिक पदार्थ और खनिजों की उपस्थिति को इंगित करता है।
रासायनिक गुण या लक्षण	
पी. एच.	पानी का वांछनीय pH 6.5 और 8.5 के बीच होता है। क्षारीयता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अम्लता खनिज एसिड, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन सल्फेट आदि की उपस्थिति के कारण होती है। कम पीएच मान क्षरण का कारण बन सकता है।
कुल घुलित पदार्थ (टी. डी. एस.)	टीडीएस पानी में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। अनुमेय राशि 500 पीपीएम तक सीमित है, यदपि 1000 पीपीएम तक की अधिकतम हो सकता है।

पीने के पानी की गुणवत्ता : परीक्षण पैरामीटर

सोडिस विधि के प्रयोग से जल शोधन

WATER PURIFICATION USING SODIS METHOD

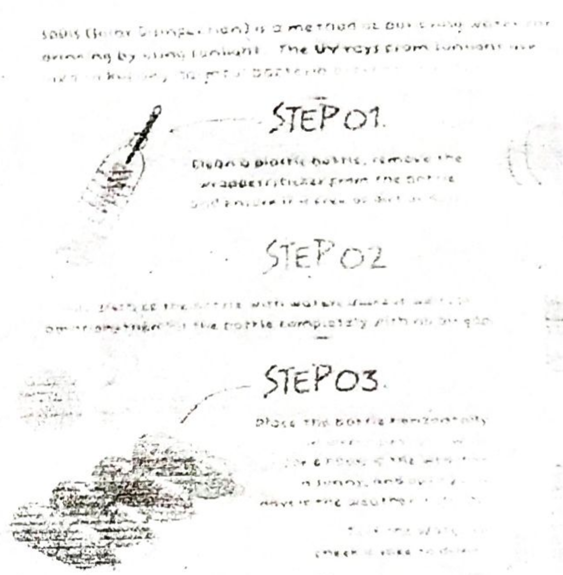

भौतिक गुण या लक्षण	
रंग	पानी साफ होना चाहिए और रंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जाता है।
गंध	पानी में कोई अनुचित या अनावश्यक स्वाद और गंध नहीं होनी चाहिए। घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण या कुछ घुली हुई गैसें स्वाद और गंध प्रदान करती हैं।
तापमान	10 डिग्री सेल्सियस - 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वांछनीय है। तापमान पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों को दृढ़ता से प्रभावित करता है।
अपशिष्ट ठोस पदार्थ	अपशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति के बिना पानी साफ दिखाई देना चाहिए। यदि पानी मैला होता है, तो यह अपशिष्ट पदार्थ जैसे मिट्टी, कीचड या अन्य कार्बनिक पदार्थ और खनिजों की उपस्थिति को इंगित करता है।
रासायनिक गुण या लक्षण	
पी. एच.	पानी का वांछनीय pH 6.5 और 8.5 के बीच होता है। क्षारीयता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अम्लता खनिज एसिड, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन सल्फेट आदि की उपस्थिति के कारण होती है। कम पीएच मान क्षरण का कारण बन सकता है।
कुल घुलित पदार्थ (टी. डी. एस.)	टीडीएस पानी में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। अनुमेय राशि 500 पीपीएम तक सीमित है, यदपि 1000 पीपीएम तक की अधिकतम हो सकता है।
नाइट्रोजन	यह निम्नलिखित रूपों में मौजूद हो सकता है: मुक्त अमोनिया 0.15 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नाइट्राइट पूरी तरह से अनुपस्थित होना चाहिए। नाइट्रेट्स 45 मिलीग्राम/लीटर तक सीमित होना चाहिए।
कठोरता	यह पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति के कारण होता है। पीने के प्रयोजनों के लिए, पानी नरम होना चाहिए; हालाँकि 75 पीपीएम से कम कठोरता वाला पानी आमतौर पर बेस्वाद होता है और इसलिए वांछनीय सीमा 75 - 115 पीपीएम तक हो सकती है।
फ्लोराइड	जल स्रोतों में फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है लेकिन अधिकतम अनुमेय सीमा = 1 मिलीग्राम/लीटर (1 पीपीएम) है।
जीवाणु सम्बन्धी लक्षण	
ई. कोलाई। जीवाणु	पीने के पानी के प्रयोजनों के लिए, बैक्टीरिया पानी में मौजूद नहीं होना चाहिए और यह प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्यों में जठरांत्र संबंधी संक्रमण का कारण बनता है।

C) कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पर्यावरण (भूमि)

गतिविधियां -

1- खाद बनाना:

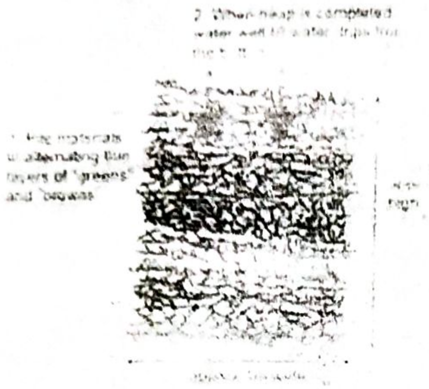

चित्र 13

QR कोड

QR कोड स्कैन करने की प्रक्रिया –

1- QR कोड स्कैन करने के लिए अपने फ़ोन में QR कोड स्कैनर नाम की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
2- एप्लीकेशन का उपयोग कर इस कोड को स्कैन करें
3- स्कैन करने पर एक लिंक प्रदर्शित होगा, जिसे क्लिक करने पर डॉक्यूमेन्ट को देखा जा सकता है।

9685 20/7/22 PS/mail/13 73/24 20/7/22 567

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./हरित पाठशाला/2022–23/ 3251 दिनांक : 19/7/2022

स्मरण–पत्र

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा
समस्त जिला

DD (SCC) 19/7/22

विषय– हरित पाठशाला कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–परिषद् दिशा–निर्देश क्रमांक 12304 दिनांक 21.02.2019 एवं 2589 दिनांक 30.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित दिशा–निर्देश अनुरूप हर वर्ष की भाँति सत्र 2022–23 में भी हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत अपने अधीनस्थ सभी संस्थाप्रधान को एसएमसी/एसडीएमसी के सहयोग से विद्यालय में गड्डे खुदवाकर पौधे रोपित करने का कार्य पूर्ण किया जाना है। इस हेतु परिषद के पत्र क्रमांक 2589 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पौधे रोपित करवाकर इसकी पूर्ण सूचना **शालादर्पण पोर्टल पर फीड** कर परिषद् कार्यालय को भी अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आदिनांक तक आपके जिले की प्रगति न्यून है। जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः आप अपने अधीनस्थ सभी संस्थाप्रधान को निर्देशित करें कि समस्त राजकीय विद्यालयों एवं कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पौधे रोपित करवाकर इसकी **पूर्ण सूचना दिनांक 28 जुलाई, 2022** तक शालादर्पण पोर्टल पर फीड करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/हरित पाठशाला/2022–23/3251 दिनांक : 19/7/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक – द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उपायुक्त, (शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

Green letter/2022-23

Rajasthan Council of School Education - RCScE
(www.rajshalaa.parnic.in)

हरित पाठशाला कार्यक्रम रिपोर्ट

क्र.सं.	जिला	कुल विद्यालय	कुल विद्यालय जिनके द्वारा पौधरोपण हेतु गड्ढे खोदे गए	वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपित पौधों की संख्या	वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपित पौधों में से जीवित / रोपित नये पौधों की संख्या	कुल विद्यालय जिनके द्वारा पोषण वाटिका का निर्माण किया गया
1	AJMER	1871	703	15816	0	427
2	ALWAR	2844	50	1116	0	35
3	BANSWARA	3214	654	10836	0	254
4	BARAN	1585	163	3093	0	81
5	BARMER	4850	66	1382	0	40
6	BHARATPUR	1786	92	1564	0	73
7	BHILWARA	2905	86	1363	0	51
8	BIKANER	2075	175	3959	0	105
9	BUNDI	1257	204	4491	0	174
10	CHITTAURGARH	1829	254	6415	0	150
11	CHURU	1432	117	6206	0	82
12	DAUSA	1579	47	1150	0	35
13	DHAULPUR	1143	97	1736	0	72
14	DUNGARPUR	2678	147	2551	0	84
15	GANGANAGAR	1957	171	3563	0	136
16	HANUMANGARH	1120	46	1173	0	35
17	JAIPUR	3765	230	5717	0	152
18	JAISALMER	1314	78	1678	0	60
19	JALOR	1887	125	3122	0	67
20	JHALAWAR	1695	109	2382	0	89
21	JHUNJHUNUN	1553	242	8192	0	175
22	JODHPUR	3601	164	3811	0	76
23	KARAULI	1462	21	480	0	14
24	KOTA	1097	104	1589	0	63
25	NAGAUR	3086	68	1748	0	39
26	PALI	1851	51	1734	0	24
27	PRATAPGARH	1727	48	1385	0	44
28	RAJSAMAND	1734	71	1403	0	41
29	S.MADHOPUR	1095	40	1615	0	26
30	SIKAR	2022	142	3652	0	106
31	SIROHI	1006	124	3341	0	54
32	TONK	1513	47	1093	0	31
33	UDAIPUR	4442	86	2192	0	59
	Total	**68975**	**4822**	**111548**	**0**	**2954**

Note:- Provisional Data - Work in progress